संख्या- 33/2021/3944(2)/41-2020-71(बजट)/2017 टीसी-8

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी 2021

विषय- **उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जनपद मथुरा में गोवर्धन में बडी परिक्रमा मार्ग पर आर0सी0सी0 ह्यूम पाईप डालने के कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1678/6-1-1(11)/ब्र0ती0वि0प0/2018, दिनांक 10-8-2020 एवं मुख्य कार्यवालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा के पत्रांक-257/उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0/2020-21 दिनांक 14-10-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत **उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जनपद मथुरा में गोवर्धन में बडी परिक्रमा मार्ग पर आर0सी0सी0 ह्यूम पाईप डालने के कार्य हेतु** नामित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 2,09,68,000.00 (रूपये दो करोड़ नौ लाख अडसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0 1,04,84,000.00 (रूपये एक करोड़ चार लाख चौरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश् संख्या-124/2018/2518/41-2018-71(बजट)/2017 टीसी-08 दिनांक 3-8-2018 द्वारा निर्गत की गई थी। तदनन्तर महानिदेशक पर्यटन द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा के पत्रांक -127/ब्र0ती0वि0प0/2020-21 दि0-22-7-2020 के क्रम में यह अवगत कराया गया कि कार्य के दौरान यह देखा गया कि मंदिरों तथा बाजार के आस पास काफी संकरी गलियों में स्थित कांकरीट रोड को काटकर ह्यूम पाइप बिछाया जाना व्यवहारिक नहीं प्रतीत होने के कारण कार्य स्थल के आवश्यकतानुसार 120 मि0मि0 डॉया का डी0डब्लूसी0 पाइप तथा 200 मि0मि0 × 100 मि0मि0 जी0आई0 पाइप डाला जाना उचित होगा। तदनुसार इस परियोजना हेतु रू0-225.62 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुये प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रायोजना के पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित लागत रू0-202.77 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-124/2018/2518/41-2018-71(बजट)/2017 टीसी-8 दिनांक 3-8-2018 एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विषयक इस शासनादेश में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई **धनराशि के उपभोग से संबंधित समस्त प्रपत्रों यथा- उपयोगिता प्रमाण पत्र ,गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संयुक्त निरीक्षण आख्या ,जी0एफ0आर0 12सी ,बार चार्ट, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ्स पर तिथि सहित हस्ताक्षर अंकित कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की गई है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। पुनरीक्षित आगणन के अनुसार स्वीकृत कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) पुनरीक्षित परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पुनरीक्षित कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7- 46/दस-2021 दिनांक 15 जनवरी 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-33/2021/3944(3)/41-2020-71(बजट)/2017 टीसी-8 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।